FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0076 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/05/2024 18:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 08/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:26 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/05/2024 18:52:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TAHSEL OFFICE FATEHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHIEPAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NORANGLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE UDANSARI, FATEHPUR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE UDANSARI, FATEHPUR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9636992550

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NIKITA KUMARI		अभिभावक:SHRAVAN	1. DEVROAD,SURAJGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि तीन हजार रूपये	3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर विषय - रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि ग्राम उदनसरी पटवार हल्का उदनसर में मेरे पिताजी श्री नोरंगलाल के कृषि भुमि नाम थी मेरे पिताजी का स्वर्गवास 12.11.2017 को हो गया था जीसके पश्चात तीन माह पहले मेरे पिता के नाम कृषी भुमी का नामान्तरण मेरे एंव बहन व मॉ के नाम करवाने के लिए कागजात उदनसर हल्का पटवारी श्रीमति निकीता को दिये थे जिसने कई दिनो तक मेरा नामान्तरण नही खोलने पर 02.05.2024 को पटवारी निकीता से मीला तो उसने कहां कि खर्चा पानी का 5000 रू दोगे तो ही मैं आपका नामान्तरण करूगी। निकीता पटवारी ने मेरे से पूर्व में भी कागजात लिये थे तब 900 रू लीए थे स्वंय अब 5000 हजार और मांग रही है। श्रीमति निकिता पटवारी को मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देना चाहता हॅु उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅु मेरी निकीता से कोई रंजीश नही है एंवम कोई लेनदेन नही है रिपोर्ट करता हु, कारवाई करें। दिनांक 06.05.2024, एसडी-महिपाल पुत्र श्री नोंरगलाल गांव उदनसरी पुलिस थाना फतेहपुर सदर सीकर 9636992550, कार्यवाही शुरू की जाती है। एसडी-श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक दिनांक 06.05.24, एसडी-अक्षय कुमार दिनांक 08.05.2024, एसडी-अरविन्द कुमार दिनांक 08.05.2024 कार्यवाही पुलिस 06.05.2024 04.00 पीएम इस समय परिवादी श्री महिपाल पुत्र स्व. श्री नोरंगलाल जाति जाट उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम उदनसरी पुलिस थाना फतेहपुर सदर तहसील फतेहपुर जिला सीकर उपस्थित चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र मय अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति के प्रस्तुत की। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री महिपाल ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखित एंव हस्ताक्षरित होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्रीमती निकीता, पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो व मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिष्वत लेन-देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी- सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, दिनांक 06.05.2024 तत्पश्चात समय 04.20 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल ने बताया कि आज मेरे पास श्रीमती निकीता, पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर का फोन आया था एंव उसने मुझे कल सुबह बुलाया है, इसलिये कल आप अपना कोई कर्मचारी मेरे पास डीवीआर लेकर कस्बा फतेहपुर में भिजवा देना जहॉ मैं श्रीमती निकीता, पटवारी, से बात कर लुगा। जिस पर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री महिपाल को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व श्री दलीप कुमार कानि. नं.10 का परिवादी श्री महिपाल से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री महिपाल को समय 04.40 पीएम पर मुनासीब हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 07.05.2024 को समय 09.00एएम पर श्री दलीप कुमार नं. 10 को समझाईश कर कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर कार्यालय से मुनासीब हिदायत कर परिवादी श्री महिपाल के पास कस्बा फतेहपुर के पास जाने के लिए रवाना किया गया। समय 03.50 पीएम पर कानि. दलीप कुमार मय परिवादी श्री महिपाल उपस्थित आये। कानि. दलीप कुमार ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ”मैं कार्यालय से रवाना होकर फतेहपुर में पहॅुच मैने परिवादी श्री महिपाल से सम्पर्क किया तो वो मुझे बस स्टैण्ड के पास उपस्थित मिला, जहॉ से हम दोनो रवाना होकर कस्बा फतेहपुर में स्थित पटवार भवन के कार्यालय के पास पहॅुचने पर मैंने कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर परिवादी श्री महिपाल को सुपुर्द कर दिया था, जिसे परिवादी लेकर पटवार भवन के कार्यालय में चला गया तथा उसके बाद फोन पर अन्दर से बात करता हुआ तहसील कार्यालय के अन्दर चला गया। थोड़ी देर बाद परिवादी श्री महिपाल सिंह ने तहसील कार्यालय से बाहर आकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुर्पुद कर दिया जिसे मैंने प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री महिपाल ने पटवारी से रिश्वत के सम्बन्ध में बात हो जाना बताने पर हम दोनो रवाना होकर आपके पास आ गये। परिवादी श्री महिपाल ने दलीप कुमार कानि. के कथनो की ताईद करते हुये मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ”कस्बा फतेहपुर में बस स्टैण्ड के पास मैं आपके दलीप कुमार को उपस्थित मिला, जहॉ से हम दोनो रवाना होकर कस्बा फतेहपुर में स्थित पटवार भवन के कार्यालय के पास पहॅुचे। जहॉ पर श्री दलीप कुमार ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर मेरे को सुपुर्द कर दिया था। जिसको मैंने प्राप्त कर अपने पास रखकर पटवार भवन के अन्दर चला गया। जहॉ पर पटवारी श्रीमती

निकिता के नही मिलने पर मैंने उनको फोन किया तो उन्होने मेरे को फतेहपुर तहसील कार्यालय के अन्दर बुलाया। पटवार भवन से रवाना होकर मैं तहसील में चला गया, जहॉ तहसील कार्यालय के एक कमरे से बाहर आकर उसने गैलरी में मेरे से बात की एंव मेरे नामान्तरण से सम्बन्धित जमाबन्दी की स्वंय के हस्ताक्षरित प्रति मेरे को देदी एंव मेरे से रूपये के सम्बन्ध में वार्ता की तो पटवारी श्रीमती निकिता ने मेरे से तीन हजार रूपये की मांग की। जिस पर मैंने रूपये बाद में देने की कहीं। उसके बाद मैं तहसील से रवाना होकर श्री दलीप कुमार जी के पास पहॅुचकर डिवीआर मय मेमोरी कार्ड के उनको सुपुर्द कर दिया। जिसको उन्होने बन्द करके अपने पास रख लिया। उसके बाद हम दोनो फतेहपुर से रवाना होकर आपके पास आ गये'' परिवादी श्री महिपाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल आपके कार्यालय से जाने के बाद शाम को श्रीमती निकिता ने मोबाईल नं. 8740864223 से मेरे मोबाईल नं. 9636992550 पर वार्ता करके मेरे को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में फोन किया था। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना तो कानि. एवं परिवादी के बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। पटवारी श्रीमती निकिता द्वारा परिवादी श्री महिपाल को उसके नामान्तरण से सम्बन्धित दी गई जमाबन्दी की प्रति को परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसका मन् पुलिस निरीक्षक ने अवलोकन किया तो उक्त जमाबन्दी पटवार हल्का उदनसर के नया खाता सख्या 165 की जमाबन्दी होकर पटवारी ने अपने हस्ताक्षर से जारी कर पी 35 रजिस्टर का क्रमांक 1911 दिनांक 06.05.2024 अकिंत कर जारी की है। उक्त जमाबन्दी पर परिवादी श्री महिपाल के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ही समय 05.16 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं. 9636992550 पर आरोपिया पटवारी श्रीमती निकिता के मोबाईल नं. 8740864223 से फोन आया जिसमें पटवारी ने कहां कि आये नही। जिस पर परिवादी ने कहां कि रूपयो की व्यवस्था नही हुई मैं कल आपसे मिल लूंगा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। परिवादी श्री महिपाल को पटवारी को रिश्वत में दिये जाने वाले तीन हजार रूपये साथ लेकर कल दिनांक 08.05.2024 को सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर कार्यालय से समय 05.40 पीएम पर रवाना किया। दिनांक 08.05.2024 को समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल उपस्थित कार्यालय आया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बिठाया। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर श्री मूलचन्द एचसी नं. 123 को कार्यालय सीएमएचओ सीकर से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु तहरीर हमरा देकर रवाना किया गया। समय 01.50 पीएम पर श्री मूलचन्द एचसी नं. 123 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर से श्री अरविन्द कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री अक्षय कुमार संगणक को हमरा लेकर आया, जिनका परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री महिपाल से आपस में करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल को हिदायत देने पर आरोपिया निकिता, पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है - 1-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NP 323267 2-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0MM 296563 3-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VL 597944 4-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1QS 446569 5-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5LR 804664 6-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6ND 733564 उपरोक्त समस्त नोटों पर श्रीमती सुशीला मकानि. 107. से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री अक्षय कुमार से परिवादी श्री महिपाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 3,000 रूपयों के नोट श्रीमती सुशीला मकानि. 107 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपिया से हाथ नही मिलाने एवं आरोपिया से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपिया द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपिया द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9636992550 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9079554697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती सुशीला मकानि. 107 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड

को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री महिपाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री महिपाल, स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार एवं श्री अरविन्द कुमार एवं कार्यालय स्टाफ के श्री मूलचन्द एचसी नं. 123, श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्री महेश कुमार एचसी नं. 48, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री कैलाश चन्द कानि. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेशचन्द कानि. चालक के रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 07.05.2024 का डीवीआर आलमारी में से निकालकर मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर समय 03.13 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के फतेहपुर से पहले घडवा जोहडा के पास पहॅुचा, जहॉ आरोपिया निकिता पटवारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिये परिवादी श्री महिपाल से उसके मोबाईल नम्बर 9636992550 से आरोपिया पटवारी निकिता के मोबाईल नं. 8740864223 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तो आरोपिया पटवारी ने तहसील में होने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके परिवादी के पास मौजूद डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। डीवीआर परिवादी श्री महिपाल को पुनः सुपुर्द किया गया। समय 03.18 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के घड़वा जोहडा से रवाना होकर तहसील कार्यालय फतेहपुर के सामने पहॅुच परिवादी श्री महिपाल को तहसील कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहनों में ही मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय 03.26 पीएम पर कस्बा फतेहपुर में तहसील कार्यालय फतेहपुर के सामने मुख्य सड़क पर वाहनों में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी महिपाल से मिस कॉल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेते हुये तहसील कार्यालय के अन्दर प्रवेश हुये जहॉ गलेरी में नायब तहसीलदार के कक्ष के आगे गेलरी में परिवादी खडा़ मिला जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को डीवीआर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने अपने पास सलवार सुट पहने खडी़ महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही निकिता पटवारी है, जिसने अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि 3000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पास प्लास्टिक के फोल्डर में रखे है" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त महिला को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम निकिता कुमारी पुत्री श्री श्रवण कुमार, जाति मेघवाल, उम्र-24 वर्ष, निवासी देवरोड़, पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि " इनकी एवं इनकी बहिनों के नाम विरासत का नामान्तरण खोला है, जिसके लिये है, जो मेरे पास प्लास्टिक के फोल्डर में है" मौके पर परिवादी महिपाल ने निकिता पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि " मेरे विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में दिनांक 07.05.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय इन्होने मेरे नामान्तरण दर्ज कर जमाबंदी की नकल दी थी, तब इन्होने मेरे से 3000 रूपये मांगे थे, जो मैने आज इनको दिये है" आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी के हाथ में रखे प्लास्टिक के फाईल फोल्डर को गवाह श्री अक्षय कुमार से खुलवाकर देखा गया तो फोल्डर में रखे कागजों के बीच पॉच-पॉच सौ रूपयों के नोट दिखाई दिये। उक्त प्लास्टिक के फाईल फोलडर को गवाह श्री अक्षय कुमार को सम्भलाया गया। रिश्वत लेनदेन होने की पुष्टि होने पर श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483 से आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी का बांया हाथ तथा श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43 से आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी का दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से पकडवाये जाकर समय 03.35 पीएम पर तहसील कार्यालय में बने एक कमरे में आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी को ले जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क R-1 एंव R-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क L-1, L-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अक्षय कुमार के पास सुरक्षित रखे प्लास्टिक के फाईल फोल्डर के अन्दर मुकुल शर्मा के नाम से यात्रा भत्ता बिल जिसके अन्दर रिश्वती राशि मिली। उक्त बरामद शुदा नोटों को गवाह श्री अक्षय कुमार से गिनवाया गया तो पॉच-पॉच सौ रूपयों के 6 नोट कुल 3000 रूपये पाये गये, जिनके नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामद शुदा नोटों का विवरण फर्द हाथ धुलाई में अकिंत करवाकर समस्त कुल 3,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में

पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में प्लास्टिक के फोल्डर के अन्दर मुकुल शर्मा के यात्रा भत्ता बिल के अन्दर जहॉ से रिश्वती राशि बरामद की गई। उक्त यात्रा भत्ता बिल के कागज का जहॉ रिश्वती राशि बरामद हुई उस स्थान का रूई के फौवे से धुलवाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क F-1, F-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के फाईल फोल्डर में अन्दर अन्य कोई कागजात नहीं पाये गये। रिश्वत बरामदगी स्थल यात्रा भत्ता बिल पर पेन से गोला बनाकर उसमें संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर यात्रा भत्ता बिल व रूई के फौवे को एक कागज के लिफाफे में डालकर सील मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी से परिवादी श्री महिपाल के नामान्तरण के संबंध में पूछा तो बताया कि ''इनके विरासत का नामान्तरण मैने दिनांक 02.05.2024 को दर्ज कर दिया था और कल दिनांक 07.05.2024 को मेरे पास आने पर मैने इनको मेरे द्वारा प्रमाणित जमाबंदी की नकल दी थी।'' दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां R-1, R-2, L-1, L-2, F-1, F-2 एवं कागज पर सील्ड रिश्वती राशि, यात्रा भत्ता बिल एवं रूई रखे कागज के लिफाफे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। ततपश्चात समय 05.00 पीएम पर आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी, पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 05.20 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 05.50 पीएम पर परिवादी श्री महिपाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2024 को आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर से आमने-सामने एवं मोबाईल पर हुई बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का परिवादी श्री महिपाल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री महिपाल ने स्वंय की व आरोपिया निकिता कुमारी पटवारी हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर की आवाजों की पहचान की। डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से चार सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉईसरिकार्डर से मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क '' ए'' अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क ''ए-1'' एवं दूसरी सीडी पर मार्क ''ए-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क ए-1'' एवं ए-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकार्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम पर दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 08.05.2024 को आमने-सामने एवं मोबाईल फोन पर हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का परिवादी श्री महिपाल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री महिपाल ने स्वंय की व आरोपिया निकिता कुमारी पटवारी हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर की आवाजों की पहचान की। डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से चार सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉईसरिकार्डर से मेमोरी कार्ड ADATA 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क बी-1'' एवं दूसरी सीडी पर मार्क बी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क बी-1 एवं बी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकार्डर दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.40 पीएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री महिपाल को

रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी मय जप्त शुदा वजह सबुत के तहसील कार्यालय फतेहपुर से रवाना होकर रास्ते में एसके हॉस्पीटल सीकर में आरोपिया का स्वास्थय परीक्षण करवाकर पुलिस थाना उधोग नगर, सीकर में आरोपिया को बन्द हवालात करवाकर एसीबी कार्यालय पहॅुचा। जहॉ प्रकरण का जप्त शुदा वजह सबुत माल मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपपिया सुश्री निकिता कुमारी पुत्री श्री श्रवण , जाति मेघवाल, उम्र-24 वर्ष, निवासी देवरोड़, पुलिस थाना पिलानी तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री महिपाल से उसके विरासत का नामान्तरण दर्ज करने की एंवज में रिश्वत मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 07.05.2024 को उसके नामान्तरण दर्ज कर उसकी प्रमाणित प्रति देते हुये तीन हजार रूपये रिश्वत की मांग करना एंव रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.05.2024 को रिश्वत लेनदेन के समय तीन हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपिया सुश्री निकिता कुमारी पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिता सुश्री निकिता कुमारी पुत्री श्री श्रवण, निवासी देवरोड, पुलिस थाना पिलानी, तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का उदनसर, तहसील फतेहपुर जिला सीकर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया । उक्त की रोजनामचा आम रपट 139 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 378-81 दिनांक 09.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर। 2 जिला कलक्टर, सीकर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर । उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/05/2024 18:56:04

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	09/02/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)